

द बगि पक्किचर/इनसाइट: ग्रामीण वदियुतीकरण का शत-प्रतशित लक्ष्य हासलि

संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

15 अगस्त, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 दिनों में देश के 18,452 उन गाँवों को रौशन करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था जो आज़ादी के सात दशक बाद भी अँधेरे में ज़िंदगी जीने को मजबूर थे। निर्धारित समय सीमा से 12 दिन पहले ही 28 अप्रैल को यह लक्ष्य हासलि कर लिया गया **मणपुर में सेनापति ज़िले का लसिंग (केवल 19 घर, आबादी केवल 65)** देश का आखिरी गाँव था, जो बजिली से रौशन हुआ। उपरोक्त अवदियुतीकृत गाँवों में से अधिकांश दूर-दराज़ या दुर्गम स्थानों पर थे, जसि वजह से इनके वदियुतीकरण में कठिनाइयाँ आईं, लेकिन अंततः सभी गाँवों में नेशनल ग्रिडि या ऑफ ग्रिडि से बजिली पहुँचा दी गई।

वविादति परभाषा का मुद्दा

वदियुतीकृत गाँव की परभाषा वविादति बन गई है, जसिके तहत 10% वदियुतीकृत परिवारों वाले गाँव को वदियुतीकृत गाँव माना जाता है। यह परभाषा लगभग 20 वर्षों से चली आ रही है और इस सरकार ने भी इसमें परिवर्तन करना उचित नहीं समझा। लेकिन इसका अर्थ घरेलू वदियुतीकरण के अंतरगत केवल 10% परिवारों को वदियुतीकृत करने तक सीमति कतई नहीं है।

अक्टूबर 1997 में स्थापति इस परभाषा के अनुसार एक गाँव की पहचान **वदियुतीकृत गाँव** के रूप में तब की जाती है, जब...

- नवासि योग्य स्थान पर बुनयिादी ढाँचे के प्रावधान, जैसे-वतिरण ट्रांसफॉर्मर और आस-पास के इलाकों में लाइनों की सुवधि।
- सार्वजनिक स्थानों, जैसे-स्कूलों, पंचायत कार्यालय, स्वास्थय केंद्रों, औषधालयों और सामुदायिक केंद्रों में बजिली की उपलब्धता।
- गाँव के परिवारों की कुल संख्या में से कम से कम 10% के पास वदियुत कनेक्शन हो।

वसुतुस्थतिक्या है?

- राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू वदियुतीकरण स्तर 82% प्रतशित से अधिक है (47% से लेकर 100% तक)।
- देश के वभिन्नि राज्यों व क्षेत्रों में वदियुतीकरण स्तर का यह अंतर प्राथमिक रूप से आकार, भौगोलिक वषिमता, अवस्थति, संसाधन आदि कारकों पर आधारति है और इन कारणों में राज्यों द्वारा ग्रामीण वदियुतीकरण के लयि कयि गए प्रयास भी शामिल हैं।
- ऐसे में यदि परभाषा ही कारण होती तो घरेलू वदियुतीकरण के इस स्तर को प्राप्त नहीं कयि जा सकता था।

सरकार ने इस वरिधाभास को दरकनार कर 31 दसिंबर, 2018 तक सार्वभौमिक घरेलू वदियुतीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये **प्रधानमंत्री सहज बजिली हर घर योजना-सौभाग्य योजना** की शुरुआत की है।

क्या है सौभाग्य योजना?

16,320 करोड़ रुपए की लागत वाली योजना 'सौभाग्य' का उद्देश्य अंतमि छोर तक कनेक्टविटी सुनिश्चति करते हुए सभी घरों में बजिली पहुँचाना और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी शेष गैर-वदियुतीकृत घरों में बजिली कनेक्शन सुलभ कराना है, ताकि देश में सभी घरों में बजिली पहुँचाने का लक्ष्य हासलि कयि जा सके।

योजना से क्या अपेक्षति है?

- रौशनी के लयि केरोसनि का प्रयोग न करने से पर्यावरण में सुधार
 - ◆ शैक्षणिक गतिविधियों में प्रगति
 - ◆ उत्तम स्वास्थय सेवाएँ
 - ◆ रेडियो, टेलीविजन और मोबाइल द्वारा बेहतर संपर्कता
 - ◆ आर्थिक गतिविधियों और रोज़गार में वृद्धि
 - ◆ वशिष रूप से महिलाओं सहति सभी के जीवनस्तर में सुधार
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार से 60% अनुदान राज्यों को मल्लिगा, जबकि राज्य अपने कोष से 10% धन खर्च करेंगे और शेष 30% राशि बैंकों से बतौर ऋण के रूप में प्राप्त करना होगा।
- वशिष राज्यों के लयि योजना का 85% अनुदान केंद्र सरकार देगी, जबकि राज्यों को अपने पास से केवल 5% धन लगाना होगा और शेष 10% बैंकों

से करज़ लेना होगा।

- ऐसे लगभग सभी साढ़े तीन करोड़ नरिधन परिवारों को बजिली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, जिनके पास अभी कनेक्शन नहीं है।
- इस योजना का लाभ गाँव के साथ-साथ शहर के लोगों को भी मल्लिगा।
- ये मुफ्त बजिली कनेक्शन गरीब परिवारों को प्रदानकिये जाएंगे।
- केंद्र सरकार द्वारा बैटरी सहित 200 से 300 वाट क्षमता का सोलर पावर पैक दिया जाएगा, जिसमें हर घर के लिये 5 एलईडी बल्ब, एक पंखा भी शामिल है।
- बजिली के इन उपकरणों की देख-रेख 5 सालों तक सरकार अपने खर्च पर करवाएगी।
- बजिली कनेक्शन के लिये 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना को आधार माना जाएगा। जो लोग इस जनगणना में शामिल नहीं हैं, उन्हें 500 रुपए में कनेक्शन दिया जाएगा और इसे 10 कशितों में वसूला जाएगा।
- सभी घरों को बजिली पहुँचाने के लिये प्री-पेड मॉडल अपनाया जाएगा।

(टीम दृष्टा इनपुट)

राष्ट्रीय वदियुत नीति में ग्रामीण वदियुतीकरण

राष्ट्रीय वदियुत नीति में सभी ग्रामीण क्षेत्रों को चौबीसों घंटे गुणवत्तापूर्ण बजिली की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण वदियुतीकरण की परभाषा को इस सोच के साथ कठोर बना दिया गया है कि किसी भी गाँव को वदियुतीकृत गाँव घोषित करने से पहले वहाँ पर्याप्त वदियुत अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित हो। इस परभाषा के तहत किसी भी गाँव को तभी वदियुतीकृत घोषित किया जाएगा जब वहाँ रहियशी और दलति बसती दोनों क्षेत्रों में वतिरण ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइनों की उपलब्धता, स्कूलों, पंचायत कार्यालयों और सामुदायिक केंद्रों में बजिली की सुवधि, और गाँव के कम-से-कम 10% परिवारों में बजिली की आपूर्ति जैसी मूलभूत व्यवस्था हो जाए।

- इसके साथ इस तथ्य की अनदेखी भी नहीं की जा सकती कि आज भी देश की बहुत बड़ी आबादी गाँव तक बजिली पहुँच जाने के बावजूद अपने लिये बजिली का इंतज़ार ही कर रही है।
- बजिली वाले और गैर-बजिली वाले गाँवों में खेती-किसानी यानी उत्पादकता की स्थिति से लेकर पढ़ाई-लिखाई और जीवन स्तर, वशिषकर महिलाओं और बच्चों के मामले में यह असर आँकड़ों में देखा जा सकता है।
- एक और वास्तविकता यह है कि गाँवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार बजिली नहीं मलि पाती।
- यह भी देखना होगा कि उस बहुत बड़ी आबादी तक बजिली कैसे पहुँचेगी, जिसके पास अपना घर ही नहीं है।

ग्रामीण वदियुतीकरण से जुड़े प्रमुख मुद्दे

- बुनियादी ढाँचे और गाँव के कुछ सार्वजनिक केंद्रों के वदियुतीकरण के अलावा, गाँव के कुल परिवारों की संख्या में से केवल 10% परिवारों के पास वदियुत कनेक्शन होने के आधार पर एक गाँव को वदियुतीकृत माना जाता है, भले ही 90% परिवारों के पास बजिली कनेक्शन न हो।
- हालाँकि, भारत ने अब पूर्ण वदियुतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, लेकिन भारत के ग्रामीण परिवारों (अनुमानित 31 मिलियन) का लगभग पाँचवाँ हिस्सा अभी भी बजिली की सुवधि से वंचित है।
- केवल उत्तर प्रदेश राज्य में अंधेरे में रहने वालों की संख्या 13 मिलियन से अधिक है।
- इसके अलावा, आधिकारिक आँकड़ों में कई गाँवों को वदियुतीकृत माना जाता है, कति वहाँ शकियतें दर्ज की गई हैं कि गाँवों की अनदेखी के कारण ट्रांसमिशन तारों जैसे प्रमुख घटक की चोरी की घटनाएँ भी बढ़ गई हैं।
- सरकार का कहना है कि ग्रामीण वदियुतीकरण की 20 साल पुरानी परभाषा में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि **सौभाग्य योजना** के माध्यम से पूर्ण वदियुतीकरण और हर घर तक बजिली की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
- जनगणना वाले कुल 19,679 गाँवों का वदियुतीकरण होना था, लेकिन राज्य सरकारों ने रिपोर्ट दी है कि 1305 गाँवों में कोई नहीं रहता।
- शेष 18,374 गाँवों का वदियुतीकरण किये जाने के बाद 100 प्रतिशत ग्रामीण वदियुतीकरण का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है।
- देश के लगभग 18 करोड़ (17,99,41,456) घरों में से 17% (3,13,65,992) तक बजिली पहुँचनी बाकी है।

कैसे हासिल हुआ लक्ष्य?

ग्रामीण वदियुतीकरण के इस लक्ष्य को हासिल करने में वदियुत मंत्रालय ने पाँच स्तरों पर नगिरानी करने और स्थानीय समस्याओं को दूर करने की कार्यानीति बनाई थी।

1. प्रति सप्ताह केंद्रीय वदियुत सचिव अंतर-मंत्रालयी नगिरानी समिति के तहत प्रगति की समीक्षा करते थे।
2. वदियुत सचिव हर महीने राज्यों के बजिली मंत्रियों व सचिवों के साथ अलग से एक बार फरि समीक्षा करते थे।
3. इसके बाद राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव की अगुवाई में एक समिति बनाई गई थी जो राज्यों में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का काम करती थी। इस समिति का काम भूमि अधिग्रहण, वन विभाग, रेलवे व गृह मंत्रालय से संबंधित मंजूरी लेने का था।
4. इसके बाद जिला स्तरीय एक अलग समिति थी जो जिला स्तर पर काम की नगिरानी करती थी। जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष ज़िले के सबसे वरिष्ठ सांसद को बनाया गया था।
5. इसके अलावा **ग्रामीण वदियुतीकरण नगिम लमिटेड** के स्तर पर पूरी योजना की अलग से नगिरानी की जा रही थी, क्योंकि इसे लागू करने का ज़िम्मा इसी के पास है।

आर्थिक विकास के लिये ज़रूरी है बजिली

आर्थिक विकास के लिये बजिली का होना बेहद ज़रूरी है। औद्योगिकरण एवं भारत के शहरी विकास में बजिली की महती भूमिका है। लेकिन देश में प्रति वियक्ता बजिली की खपत वर्तमान में केवल लगभग 1200 किलोवाट प्रति वियक्ता है, जबकि वैश्विक स्तर पर वार्षिक वदियुत खपत प्रति वियक्ता 2500 किलोवाट है।

देश में भवषिय की बढ़ती बजिली खपत को देखते हुए अनुमान लगाया गया है कि प्रतिव्यक्ति बजिली की खपत तेज़ी से बढ़ेगी और अगले 5 से 7 वर्षों में तगुिनी हो जाएगी ।

उपरोक्त चतिाजनक आँकड़े इसलिये सामने आए, क्योंकि कोयला आधारित बजिली उत्पादन क्षेत्र अपनी कुल क्षमता का 60% तक का ही उपयोग कर पा रहा है । यह क्षेत्र भारत की ऊर्जा जरूरतों का लगभग 60-70 प्रतिशत पूरा करता है और मौजूदा बजिली क्षमता का बेहतर उपयोग और नई क्षमताओं के विकास द्वारा हम इस क्षेत्र में तरक्की कर सकते हैं ।

स्मार्ट मीटरगि से बढ़ेगी खपत

- देश में इस समय अतिरिक्त बजिली है और सभी को 24 घंटे बजिली प्रदान करने की स्थिति है, बशर्ते उपभोक्ता खर्च की गई बजिली के लिये भुगतान करें ।
- ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ राज्य उपभोक्ताओं को प्रभावी तरीके से बलि नहीं दे पा रहे हैं और वसूली में उन्हें अनुमानतः लगभग 50% का घाटा हो रहा है ।
- जहाँ उपभोक्ताओं को सही तरीके से बलि दिये जा रहे हैं, वहाँ वसूली 95% है ।
- इसे देखते हुए वतिरण कंपनियों का घाटा कम करने और उन्हें व्यवहार्य बनाने के लिये सरकार का प्रस्ताव मीटर रीडिंग में शर्म बल समाप्त करने का है ।
- प्रत्येक राज्य में भवषिय में छोटे उपभोक्ताओं के लिये प्री-पेड मीटर और बड़े उपभोक्ताओं के लिये स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य करने से भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा और बलियों के भुगतान का पालन करने में वृद्धि होगी ।
- प्री-पेड मीटरों के सफल कार्यान्वयन का एक उदाहरण मणपुरि है, जसिने अपने सभी शहरी इलाकों में प्री-पेड मीटर लगाकर अपना वतिरण घाटा 50% से अधिक कम किया है ।

नकिट भवषिय में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तेज़ी से होने वाले परिवर्तनों के साथ चलने के लिये हरति ऊर्जा गलियारा, बैटरी भंडारण प्रौद्योगिकी, ग्रिड सुधार व इलेक्ट्रिक वाहन कार्यक्रम में निवेश करने की आवश्यकता है । देश में 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 40 प्रतिशत स्थापित बजिली क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है ।

बजिली देश के आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण हसिसा है और इसके बिना विकास नहीं हो सकता । वकिसति देश बनने के लिये बजिली सुधार सर्वोच्च प्राथमकता है । सभी को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बजिली प्रदान किये बिना औद्योगीकरण और नौकरियों का सृजन संभव नहीं है ।

(टीम वृष्टा इनपुट)

कई बार री-लॉन्च हुई यह योजना

देश के हर गाँव को बजिली से जोड़ने के बारे में पहली बार वर्ष 1970 में बात की गई थी । तब **कुटीर ज्योति योजना** के नाम से देश के हर गाँव में बजिली पहुँचाने का काम शुरू किया गया । उसके बाद इस योजना का नाम **प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना** रखा गया । बाद में इसे राजग सरकार ने **त्वरति ग्रामीण वदियुतीकरण योजना** नाम से री-लॉन्च किया । साथ ही हर गाँव में 10% घरों तक बजिली पहुँचने पर ही उस गाँव को बजिली से जुड़ा मानने की परभिषा भी तय की गई । इसके बाद यूपीए सरकार ने एक बार फरि योजना में फेरबदल किया और इसका नाम **राजीव गांधी ग्रामीण वदियुतीकरण योजना** रख दिया । मौजूदा केंद्र सरकार ने अप्रैल 2015 में इसका नाम बदलकर **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना** रखकर इसे री-लॉन्च किया ।

वदियुत मंत्रालय के बारे में

- वदियुत मंत्रालय ने दनिांक 2 जुलाई, 1992 से स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू किया । इससे पूर्व इसे ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के नाम से जाना जाता था ।
- वदियुत, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-III में प्रवषिट 38 पर दिया गया समवर्ती सूची का वषिय है ।
- वदियुत मंत्रालय प्रमुख रूप से देश में वदियुत ऊर्जा के विकास के लिये उत्तरदायी है । यह परदृश्य आयोजना, नीति निर्धारण, निवेश नरिणय हेतु परयोजनाओं की कार्रवाई, वदियुत परयोजनाओं के कार्यान्वयन की नगिरानी, प्रशिक्षण एवं जनशक्ति विकास और तापीय, जलवदियुत उत्पादन, पारेषण एवं वतिरण के संबंध में प्रशासन एवं कानून बनाने से संबंधित कार्य करता है ।
- यह मंत्रालय वदियुत अधिनियम, 2003, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रशासन और सरकार के नीति उद्देश्यों के अनुरूप, समय-समय पर यथा आवश्यक इन अधिनियमों में संशोधन करने हेतु उत्तरदायी है ।

नषिकर्ष: ग्रामीण वदियुतीकरण को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम समझा जाता है । अब यह एक सर्वस्वीकृत तथ्य है कि बजिली मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में एक है और हर परिवार को बजिली मलिनी चाहिये । ग्रामीण भारत में बजिली की आपूर्ति व्यापक आर्थिक एवं मानवीय विकास के लिये बहुत जरूरी है । इसका श्रेय कसिी एक सरकार को नहीं जाता, क्योंकि पिछली सभी सरकारों ने धीरे-धीरे करके इस लक्ष्य को संभव बनाया है । अब सबसे बड़ी चुनौती छूटे हुए गाँवों में बजिली पहुँचाने के अलावा घर-घर बजिली पहुँचाने की है । सरकार ने अंतमि गाँव में बजिली पहुँचाने का दावा किया है, लेकिन अंतमि घर तक बजिली पहुँचाने के लिये अभी लंबा इंतजार करना होगा । वैसे भी गाँव में बजिली पहुँचने का मतलब, गाँव तक बजिली पहुँचना है, जबकि असली काम उसके बाद शुरू होता है । गाँवों के सवा तीन करोड़ से ज़्यादा घरों से अभी रौशनी दूर है, जबकि सरकारी नकशे पर ये सभी बजिली से जगमगा रहे हैं । बाज़ार की शब्दावली में कहें तो गाँव तक बजिली पहुँच जाने के बाद भी घरों से कनेक्शन न जुड़ने का सीधा मतलब यही है कि दुकान खड़ी करके वहाँ सामान तो पहुँचा दिया है, लेकिन सामान का बकिना कसिी की चतिा में शामिल नहीं है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत के जनि गाँवों में 50-60 साल पहले बजिली पहुँच चुकी है, वहाँ आज भी रोज़ 8-10 घंटे बजिली आ जाए तो लोग इसे अपना सौभाग्य मानते हैं । खुश होने का असली मौका तो तब आएगा, जब गाँवों में बजिली पहुँचने के बाद बंटेगी और बकिंगी भी...और 24 घंटे मलिगी भी ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/rural-electrification>

